


उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक **643** /गोपनीय/2010
दो-2-33/57(भाग-10)


जबलपुर, दिनांक **22** जुलाई, 2010

प्रतिलिपि- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा0 क्रमांक 4-1/2002/21-ब(एक), दिनांक 19 जुलाई, 2010 की प्रति:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को इस रजिस्ट्री अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 624/गोपनीय/2010, दिनांक 19.07.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. (1) श्री यांगश कुमार सोनगरिया, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम रतलाम को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया अपनी पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे की वे अपनी नवीन पदस्थापना पर दिनांक 07.08.2010 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
(2) श्रीमती अजलि पालो, विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति / अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित न्यायालय, जबलपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया अपनी पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे की वे अपनी नवीन पदस्थापना पर दिनांक 01.10.2010 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मैदामिल, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश दें जिससे कि वे नवीन पदस्थापना के स्थान पर दिनांक 07.08.2010 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश दें जिससे कि वे नवीन पदस्थापना के स्थान पर दिनांक 01.10.2010 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. जिला जज (निरीक्षण एवं सतर्कता), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/जिला जज (निरीक्षण एवं सतर्कता), जे0ई0-1 जजेस ऐनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इंदौर-452001/जिला जज (निरीक्षण एवं सतर्कता), 28/बी, रेसकार्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (M0प्र0)को सूचनार्थ अग्रेषित।
6. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/ इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
7. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेंटर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
8. सदरथ सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
9. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (Judicial) / (Inspection & Vigilance) / (I. L. R. & Examination).


22.7.10

10. रजिस्ट्रार (Vigilance & Litigation) / (District Establishment) / (Judicial-I) / (Judicial-II) / (Administration) / (Inspection & Vigilance) / (Exam & Labour Judiciary) / (I.T.) / रजिस्ट्रार एवं सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / O.S.D. (Inspection & Vigilance) / लेखा अधिकारी / बजट अधिकारी / डिप्टी रजिस्ट्रार (Protocol) / डिप्टी रजिस्ट्रार (Judicial), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
11. रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को सूचनार्थ अग्रेषित ।
12. संचालक / अतिरिक्त संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
13. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
14. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर / इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
15. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर / ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
16. अनुभाग अधिकारी _____ पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर / वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक, कम्प्यूटर विभाग, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
17. रजिस्ट्रार जनरल की निजी सचिव एवं सहायक रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।


(टी.के. कौशल)
रजिस्ट्रार जनरल



मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

आदेश


भोपाल, दिनांक 19 जुलाई, 2010

फा0 क्रमांक 4-1/2002/21-ब(एक), राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.8.2002 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं.66) की धारा-4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4.3.2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 (3) के अंतर्गत निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए परिवार न्यायालयों में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने, (जो भी पहले हो) तक सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता है।

उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(3) के अंतर्गत होगा।

क्र0	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापना	एवं	कुटुम्ब न्यायालय का मुख्यालय
1.	श्री योगेश कुमार सोनगरिया, अध्यक्ष, जिला उपमोक्ता फोरम		प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन
2.	श्रीमती अंजलि पालो, विशेष न्यायाधीश अ0जा0अनु0 जनजाति (अत्या0निवा0) अधिनियम के अंतर्गत गठित न्यायालय, जबलपुर		प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, रीवा


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(ए.के. मिश्रा)
प्रमुख सचिव, 19.7.10

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
पृ.फा.क्रमांक 4-1/2002/21-ब(एक), भोपाल, दिनांक 19 जुलाई, 2010

प्रतिलिपि

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के अर्द्धशास0 पत्र क्रमांक 624/गो0/2010/II-2-33/57(भाग-10), दिनांक 19.7.2010 के संदर्भ में,
2. श्री योगेश कुमार सोनगरिया, अध्यक्ष, जिला उपमोक्ता फोरम, रतलाम,


REGISTRAR GENERAL,
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR

S. O. (K. S. S.)

3. श्रीमती अंजलि पालो, विशेष न्यायाधीश अ०जा०अनु० जनजाति (अत्या०निवा०) अधिनियम के अंतर्गत गठित न्यायालय, जबलपुर
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर
5. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्राशाला, भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

19-7-10

(विमल प्रकाश शुक्ल)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग